Ref No. 2549/35-1 **Date: - 23.02.2024**

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
Email : judicial-ngt@gov.in

Subject: Response to the (OA No. 177/2024) of hearing in Suo - Moto matter in News re: Item appearing in the Amar Ujala Newspaper dated 13.01.2024

Sir,

That in pursuance to the notice dated 21.02.2024 passed by this Hon'ble Tribunal regarding the subject matter the response of the District Forest Officer, Forest and Wildlife Division Shahjahanpur, Uttar Pradesh is filed herewith with a request that the same may be placed before the Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and necessary action.

Encls : As above

Your's Sincerely

Prakhar Gupta
District Forest Officer
Forest and Wildlife
Division Shahjahanpur, Uttar Pradesh

Copy To: -

1. Shri Bhanwar Pal Singh Jadon, Advocate, Standing Counsel U.P., Hon'ble NGT/Supreme Court , New Delhi for perusal and necessary action please.

RESPONSE TO THE (O.A. NO. 177/2024) OF HEARING IN SUO- MOTO MATTER IN NEWS RE: ITEM APPEARING IN THE AMAR UJALA NEWSPAPER DATED 13.01.2024

- The aforesaid matter pertains to illegal felling of 13 trees in Singhpur West Beat of Sihura Section of Khutar Range under Shahjahanpur Forest and Wildlife Division. On acknowledgement of the above incident, prompt actions were taken by the Forest Department Shahjahanpur:

    - A case has been registered (H-2 Case) by the Beat Incharge under section 26 of Indian Forest Act 1927 on 11.01.2024 against 8 named persons and some unknown. **(Annexure – 1)**

    - In the above matter, an investigating team was constituted on 12.01.2024 by DFO Shahjahanpur vide letter – 2044/33-3, dated 12.01.2024. **(Annexure -2).**

    - On 13.01.2024, the team so constituted investigated the area of felling and submitted its report along with all the mensuration of the felled trees, its volume and related loss.

    - On 13.01.2024 The Chief Conservator Forest, Bareilly Zone also inspected the same area and taken a stock of the situation and instructed to fast track the investigation.

    - The team submitted its report on 15.01.2024 vide letter – 108/22-20 dated 15.01.2024 to DFO Office Shahjahanpur. **(Annexure -3).**
    The team through its report, stated to have found illegal felling of 13 Sal trees. A fraction timber of felled trees was found to be recovered at Sihura Forest Guard outpost. The estimated total volume of the timber which is felled is found to be 6.753 cubic metre.

    - On 16.01.2024 the accused Girwardayal son of RamSahay village Sihurakhurd, Khutar was arrested and sent to Jail. As a result of further investigation two watchers namely Savir son of Wasir village Khadepur, Sehramau North, Pilibith and Mujib son of Kamrul Hasan village Varkali Ganj, Shahjahanpur were also added under H-2 case.

    - In addition to this, an FIR has also been registered under section 379, 411 of IPC on 18.01.2024 against 12 persons. **(Annexure – 4)**

    - On 23.01.2024, three more accused – Sonu son of Omprakash village Navdia Orilal, Mahendra son of Ramladaite village Chaturpur, Shahjahanpur and Vijay pal son of Mathura village Chaturpur, Shahjahanpur were arrested and sent to jail.

- The felled off timber has been sub-sequentially recovered from multiple places after action taken by Range Office from frequent raiding of suspected places. As a result, whole of felled timber i.e. 6.753 cubic meter has been recovered and filed under C-17 register kept at Range Office. A copy of same has been enclosed **(Annexure -5)**

- Apart from above Enforcement Remedial Measures, Forest Department, Shahjahanpur initiated Departmental Enquiry and proceedings as follows:

    - Prima facie, the beat in-charge Shri. Pushpendra Kanaujia, Forester was recommended for Suspension by DFO Shahjahanpur on 18.01.2024 vide letter – 2074/2-1 dated 18.01.2024. Acting upon which, Conservator of Forest, Bareilly Circle suspended Shri Pushpendra Kanaujia on 19.01.2024 vide 16/2-42 dated 19.01.2024. **(Annexure – 6,7)**

    - Departmental Proceedings were initiated against Beat in-charge, related Section Officer and Range Forest Officer. Due procedure was undertaken following which charges were framed and charge sheets were sent vide letter 2382/2-1 dated 12.02.2024 and letter 2383/2-1 dated 12.02.2024 to the concerned authority for further investigation in which Investigating Officer has also been named vide letter 2572(1)/2-42 dated 15.02.2024. **(Annexure – 8,9,10)**

    - A combing exercise for the whole area of Singhpur Beat and nearby beats was ordered by DFO Shahjahanpur to ascertain that there is no more any such incidents if any in other areas. Combing exercise vide letter 2135/ 33-3 dated 20.01.2024 is underway. **(Annexure – 11)**

- It is to be noted that seeing the sensitivity of the forest area of Khutar Range, DFO Shahjahanpur proposes periodic combing exercise from time to time so as to minimize any cases of forest destruction.

- Owing to sensitivity of the range, regular patrolling is ensured with periodic visit by Sub- Divisional Officer and Divisional Forest Officer.

Forest Staff were regularly replaced by other staff and transferred so as to minimize any chance of nexus in the area.

Dated: 23.02.2024

Prakhar Gupta
Divisional Forest Officer

Forest and Wildlife
Division Shahjahanpur

(Annexure-1)

7

4

फार्म नं० एच-2

वन विभाग उत्तर प्रदेश

बरेली वृत्त, बरेली उत्तर प्रदेश

पृष्ठ संख्या 154

वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहाँपुर

...त अपराध...भारतीय वन अधि० 1927 धारा 26

रिपोर्ट नं०...44

दिनांक...11-01-2024...रेंज...खुटार...बीट...सिंहपुर (सिंहपुर पश्चिमी)

रेंज केस नं०...44/खुटार रेंज/...2023 - 2024

1. अभियुक्त का नाम पिता का नाम व पता
   (1) साजिद पु० नजीर नि० शाहपुर थाना बेगमाबाद गढ़वा जि० पीलीभीत
   (2) मुनीम पु० फारूक हसन नि० नरकलीलां जि० पीलीभीत
   (3) आरिफ पु० बब्बू खाँ नि० शाहपुर, पूरनपुर जि० शाहजहाँपुर
   (4) रमजान पु० मेजुल्ला नि० शेरपुर, पूरनपुर जि० पीलीभीत
   (5) नन्हे पु० हाजिरअब्बा नि० शेरपुर पूरनपुर जि० पीलीभीत
   (6) असगर पु० शकूर खाँ नि० शेरपुर पूरनपुर जि० पीलीभीत
2. गवाहों के नाम आत्मज तथा पता
   (7) फरमोद खाँ पु० महमूद खाँ नि० शेरपुर जि० पीलीभीत
   (8) व 8 अन्य (अज्ञात) नि० शेरपुर पूरनपुर जि० पीलीभीत
   (1) कैलाश लाल (वन दरोगा)
   (2) बहादुर लाल (वा० रो० क०)
3. कारित अपराधों का पूरा विवरण: हरीपुर कक्ष सं० 4 आरक्षित वन क्षेत्र से साल के 13 वृक्ष हरे का अवैध कटान कर कोटे बनाना। गुद्दी की गोलाई -
4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बंधित पकड़ा गया हो, तो उसका विवरण: (1) 1.25 (2) 1.25 (3) 1.40 (4) 0.92 (5) 1.56 (6) 1.70 (7) 1.25 (8) 1.50 (9) 1.42 (10) 1.40 (11) 1.35 (12) 0.62 मी० (13) 0.70
5. कुल हानि का मूल्यांकन: 21668.00 (इक्कीस हजार छः सौ अड़सठ)
6. अपराध की गई सम्पत्ति का विवरण एवं रखने का स्थान: आरक्षित वन क्षेत्र से 13 साल हरे वृक्षों का अवैध कटान कर कोटे बनाना।

कटे प्रकाष्ठ का घ० मी०	कटे वृक्ष का मूल्य	बरामद प्रकाष्ठ का घ० मी०	बरामद प्रकाष्ठ का मूल्य
5.799 घन मी०	21668.00	6.24 घ०मी०	23337.00

7. चालान कार्य जांच के सम्बंध में टिप्पणियाँ: महोदय, दिनांक 11/01/24 को प्रातः 4:00 बजे सिंहपुर पश्चिमी बीट का गश्त करते समय खुटार पूरनपुर मार्ग पर हरीपुर कक्ष सं० 4 के समीप पहुंचा तो जंगल में कुछ आहट सुनाई दी। हम लोग उसी रास्ते पर जाने लगे तभी कुछ व्यक्तियों के भागने की आवाज सुनाई दी। हम लोगों ने ललकारते हुए उन लोगों का पीछा किया किन्तु अत्यधिक कोहरा तथा घनी झाड़ियों का लाभ लेते हुए अपराधीगण भागने में सफल हुए। तत्पश्चात हम लोग वापस घटनास्थल पर पहुँचे तो देखा कि 13 वृक्ष साल जिसमें 3 वृक्ष साल के ठूंठ तथा 10 वृक्ष साल के वृक्ष कटे मिले। मौके पर सभी बरामद प्रकाष्ठ का फर्द तैयार किया तथा गुद्दी की नाप की प्रकाष्ठ को अपनी अभिरक्षा में लेकर सिंहपुर वन चौकी पर सुरक्षित रखा गया। स्थानीय मुखबिर तथा गोपनीय सूत्रों से पता करने पर उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा अवैध कटान करना पाया गया जिनकी खोजबीन तथा तलाश जारी है। रेंज कार्यालय जाकर H2 केस दर्ज किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

बरामदगी

1- एक अदद आरा

2- एक अदद कुल्हाड़ी

3- 62 कोटा साल प्रकाष्ठ (फर्द संलग्न)

(हस्ताक्षर)

(पुष्पेन्द्र कनौजिया)

वन दरोगा

सिंहपुर बीट

Scanned with CamScanner

(Annexure - 1)

[illegible] — [illegible]

वृक्षों का विवरण—

वृक्ष क्रमांक — 01 प्रजाति — साल

क्रमांक	[illegible]	गोलाई (से०मी०)	आयतन (घनमीटर)
1.	140	120	0.1216
2.	210	105	0.1447
3.	170	90	0.0656
4.	150	85	0.0672
5.	110	70	0.0410

वृक्ष क्रमांक — 02 प्रजाति — साल

1.	240	125	0.2347
2.	240	110	0.1815
3.	120	100	0.0750
4.	150	90	0.0511

वृक्ष क्रमांक — 03 प्रजाति — साल

1.	150	90	0.05810
2.	220	85	0.0593
3.	180	80	0.0720
4.	170	70	0.0520

वृक्ष क्रमांक — 04 प्रजाति — साल

1.	155	90	0.0734
2.	150	80	0.0600
3.	220	75	0.0808
4.	165	70	0.0566

वृक्ष क्रमांक — 05 प्रजाति — साल

1.	155	110	0.1172
2.	120	105	0.0826
3.	240	105	0.1500
4.	160	85	0.0722
5.	175	80	0.0700
6.	155	75	0.0544
7.	230	70	0.0704
8.	230	60	0.0517
9.	230	55	0.0434

वृक्ष क्रमांक — 06 प्रजाति — साल

क्रमांक	[illegible]	गोलाई (से०मी०)	आयतन (घनमीटर)
1.	150	160	0.5675
2.	150	140	0.0937
3.	210	90	0.1063
4.	240	85	0.1083
5.	145	80	0.0580
6.	180	70	0.0551
7.	165	60	0.0471

वृक्ष क्रमांक — 07 प्रजाति — साल

1.	240	125	0.2530
2.	220	110	0.1663
3.	140	80	0.0680
4.	170	70	0.0520
5.	160	60	0.0360

वृक्ष क्रमांक — 08 प्रजाति — साल

1.	150	130	0.2000
2.	250	90	0.1000
3.	180	85	0.0812
4.	220	80	0.0880
5.	180	70	0.0551
6.	195	65	0.0514
7.	130	60	0.0252

वृक्ष क्रमांक — 09 प्रजाति — साल

1.	150	140	0.2327
2.	155	95	0.0874
3.	140	90	0.0708
4.	155	85	0.0699
5.	210	80	0.0840
6.	210	70	0.0640

वृक्ष क्रमांक — 10 प्रजाति — साल

1.	185	140	0.2260
2.	165	80	0.0660
3.	245	70	0.0750

दि० 13-01-2024. (Signature) (सं०[illegible] [illegible])

Scanned with CamScanner

 (Annexure-2)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 2054/33–3 शाहजहांपुर, दिनांक, 12 / 01 / 2024

जॉच समिति का गठन

अधोहस्ताक्षरी को खुटार रेंज के अन्तर्गत सिमरा वीट में अवैध कटान होने की सूचना प्राप्त हुई है। अतः खुटार रेंज के अन्तर्गत सिमरा वीट में हुए अवैध कटान की जॉच/कुम्बिंग करने हेतु निम्न प्रकार जॉच समिति का गठन किया जाता है:–

1–श्री शत्रुघ्न प्रसाद, क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाहजहॉपुर रेंज – अध्यक्ष
2–श्री अजय सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, तिलहर रेंज – सदस्य
3–श्री अजय सिंह राना, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाहजहॉपुर रेंज – सदस्य
4–श्री सुशील कुमार, वनविद, शाहजहॉपुर रेंज –सदस्य

जॉच समिति खुटार रेंज के अन्तर्गत सिमरा वीट में हुए अवैध कटान की जॉच/कुम्बिंग करेगी तथा उसकी गय अभिलेखों साक्ष्यों सहित अपनी रिपोर्ट 02 दिन के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगी।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
शाहजहॉपुर।

पत्रांक 2054/33–3, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपितः–

1–उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुवायां।

2–क्षेत्रीय वन अधिकारी, खुटार को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में गठित जॉच समिति को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

3–श्री शत्रुघ्न प्रसाद, क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाहजहॉपुर।

4–श्री अजय सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, तिलहर रेंज।

5–श्री अजय सिंह राना, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, शाहजहॉपुर रेंज।

6–श्री सुशील कुमार, वनदरोगा, शाहजहॉपुर रेंज।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
शाहजहॉपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी शाहजहाँपुर रेंज

पत्रांक सं० 108/22-20 दिनांक 15/01/2024 (Annexure -3)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवम् वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

विषय- खुटार रेंज अन्तर्गत अवैध कटे 13 वृक्ष साल की जाँच रिपोर्ट

सन्दर्भ- प्रभागीय कार्यालय पत्रांक सं- 2044/33-3 शाहजहाँपुर दिनांक 12/01/2024

महोदय,

आपके आदेशानुसार उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिनांक 13/01/2024 को जाँच टीम के साथ खुटार रेंज में सिहुरा सेक्शन के सिहपुर पश्चिमी बीट के हरयिपुर वन ब्लाक कम्पार्टमेन्ट नं-04 में अवैध कटे वृक्षों का मौके पर क्षेत्रीय वनाधिकारी खुटार श्री मनोज श्रीवास्तव सेक्शन प्रभारी श्री संजीव कुमार वनदरोगा व बीट प्रभारी श्री पुष्पेन्द्र कनौजिया वन दरोगा के साथ मौके पर जाँच की गयी जिसमे 13 वृक्ष अवैध रूप से काटे मिले मौके से प्रकाष्ठ गायब था श्री पुष्पेन्द्र कनौजिया वनदरोगा द्वारा बताया गया कि प्रकाष्ठ को बरामद किया गया है जिसे सिउरा वनचौकी पर रखा गया हैं।

रिपोर्ट सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक-

(1) जाँच रिपोर्ट आयतन मूल्य सहित
(2) नजरी नक्शा
(3) बरामद प्रकाष्ठ का विवरण की छायाप्रति

भवदीय

क्षेत्रीय वनाधिकारी
शाहजहाँपुर रेंज

(Annexure -3)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवम् वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

महोदय,

आपके आदेशानुसार खुटार रेंज के सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट के हरसिंहपुर वन ब्लाक कम्पार्टमेन्ट नं०-04 में अवैध कटे वृक्षो का मौके पर क्षेत्रीय वनाधिकारी खुटार श्री मनोज श्रीवास्तव सेक्शन प्रभारी श्री संजीव कुमार वनदरोगा व बीट प्रभारी श्री पुष्पेन्द्र कनौजिया वन दरोगा के साथ जाँच की गयी रिपोर्ट विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	प्रजाति	गोलाई मी०में	ठूठ की ऊंचाई मी०में	कटे वृक्ष का व्यास वर्ग	व्यास वर्ग (1) कम	आयतन II Grade	मूल्य
(1)	साल	1·25	0·80	30-40	20-30	0·255	1170=00
(2)	साल	1·25	0·80	30-40	20-30	0·255	1170=00
(3)	साल	1·40	0·70	40-50	30-40	0·736	4393=00
(4)	साल	0·92	0·85	20-30	10-20	NIL	515=00
(5)	साल	1·56	0·70	40-50	30-40	0·736	4393=00
(6)	साल	1·70	0·75	50-60	40-50	1·572	12297=00
(7)	साल	1·25	0·90	30-40	20-30	0·255	1170=00
(8)	साल	1·50	0·70	40-50	30-40	0·736	4393=00
(9)	साल	1·42	0·80	40-50	30-40	0·736	4393=00
(10)	साल	1·40	0·80	40-50	30-40	0·736	4393=00
(11)	साल	1·35	0·90	40-50	30-40	0·736	4393=00
(12)	साल	0·62	1·00	10-20	NIL	NIL	146=00
13	साल	0·90	3·00	20-30	10-20	NIL	515=00
						6·753 घ०मी०	43341=00

(सुशील कुमार)
वन दरोगा
शाहजहाँपुर रेंज

(अजय सिंह ...)
उपराजिक
शाहजहाँपुर रेंज

(अजय सिंह)
उपराजिक
तिलहर रेंज

भवदीय

क्षेत्रीय वनाधिकारी
शाहजहाँपुर रेंज

(Annexure-3)

नजरी नक्शा

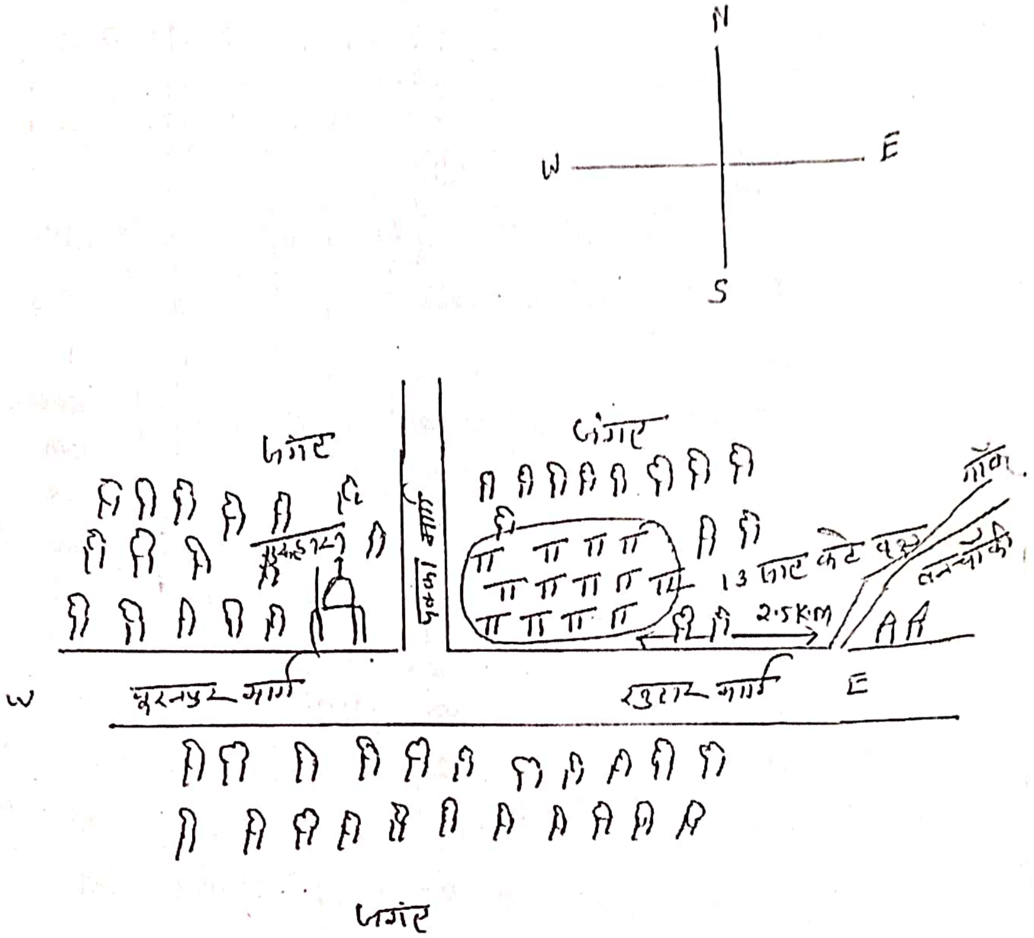

खिडरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट के हरीपुर ब्लाक कम्पार्टमेन्ट 4 मे अवैध कटे वृक्ष का नजरी नक्शा

(सुशील कुमार)
व०र०
SPN रेंज

(अजय सिंह राना)
उपराजिक
SPN रेंज

(अजय सिंह
उपराजिक
तिलहर रेंज)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
शाहजहाँपुर रेंज

(Annexure -3)

सुगार रेंज के अन्तर्गत सिहुरा सेक्शन के सिहपुर पश्चिमी बीट के दर्शित वन ब्लाक क०4 में अवैध कटे वृक्षों का विवरण। ——

क्र०सं०	प्रजाति	गोलाई (मी०) वक्षस्थल पर	ठूंठ ऊँचाई मी०	व्यास वर्ग सेमी	कटे ठूंठ का आयतन (घ०मी०)	बरामद प्रकाष्ठ का आयतन (घ०मी०) में
1	साल	1.25	0.80	20-30	0.142	0.4487
2	साल	1.25	0.86	20-30	0.142	0.5869
3	साल	1.40	0.70	30-40	0.481	0.3194
4.	साल	0.92	0.85	20-30	0.142	0.2696
5	साल	1.56	0.70	30-40	0.481	0.7115
6.	साल	1.70	0.75	40-50	1.203	1.0209
7.	साल	1.25	0.90	20-30	0.142	0.5753
8	साल	1.50	0.70	30-40	0.481	0.6048
9	साल	1.42	0.86	30-40	0.481	0.5942
10	साल	1.40	0.80	30-40	0.481	0.3676
11	साल	1.35	0.90	30-40	0.481	0.5232
12.	साल	0.62	1.00	10-20	–	0.0472
13.	साल	0.90	3.00	20-30	0.142	0.1717
					5.799 घ०मी०	6.2458 घ०मी०

दि० 13-01-2024

(संजीव कुमार) व०र०

(पुष्पेन्द्र कौशिक) वनदरोगा

(मनोज श्रीवास्तव) क्षे० व० अ० सुगार रेंज

(Annexure - 3)

[illegible]

वृक्ष क्रमांक - 01 प्रजाति - साल

क्रमांक	[illegible]	[illegible]	आयतन (घनमीटर)
1	140	120	0.1216
2	210	115	0.1447
3	130	90	0.0656
4	190	85	0.0672
5	160	70	0.0490
			0.4487

वृक्ष क्रमांक - 02 प्रजाति - साल

1	240	125	0.2343
2	240	110	0.1615
3	170	100	0.0750
4	150	90	0.0561
			0.5869

वृक्ष क्रमांक - 03 प्रजाति - साल

1	150	90	0.05610
2	220	85	0.0553
3	150	80	0.0720
4	170	70	0.0520
			0.3194

वृक्ष क्रमांक - 04 प्रजाति - साल

1	145	90	0.0734
2	150	80	0.0600
3	220	75	0.0808
4	165	70	0.0566
			0.2708

वृक्ष क्रमांक - 05 प्रजाति - साल

1	155	110	0.1172
2	120	105	0.0826
3	240	100	0.1500
4	160	85	0.0722
5	175	80	0.0700
6	155	75	0.0544
7	230	70	0.0704
8	230	60	0.0517
9	230	55	0.0434
			0.5769

वृक्ष क्रमांक - 06 प्रजाति - साल

क्रमांक	[illegible]	गोलाई (सेन्टीमीटर)	आयतन (घनमीटर)
1	150	150	0.5625
2	150	100	0.0937
3	210	90	0.1062
4	240	85	0.1083
5	145	80	0.0580
6	180	70	0.0551
7	165	60	0.0371
			1.0921

वृक्ष क्रमांक - 07 प्रजाति - साल

1	260	125	0.2530
2	220	110	0.1663
3	170	80	0.0680
4	170	70	0.0520
5	160	60	0.0360
			0.5753

वृक्ष क्रमांक - 08 प्रजाति - साल

1	190	130	0.2000
2	250	90	0.1000
3	180	85	0.0812
4	220	80	0.0880
5	180	70	0.0551
6	195	65	0.0514
7	130	60	0.0292
			0.6049

वृक्ष क्रमांक - 09 प्रजाति - साल

1	190	140	0.2327
2	155	95	0.0874
3	140	90	0.0708
4	155	85	0.0699
5	210	80	0.0840
6	210	70	0.0640
			0.6088

वृक्ष क्रमांक - 10 प्रजाति - साल

1	185	140	0.2260
2	165	80	0.0660
3	245	70	0.0750
			0.367

दि० 13-01-2024. [signature] ([illegible])

P.T.O.

(Annexure - 3)

वृक्ष क्रमांक — 11 प्रजाति — साल

[illegible]	[illegible]	[illegible]	आयतन (घ०मी०)
1.	240	150	0.2535
1.	240	110	0.1815
3.	185	90	0.0566
4.	120	65	0.0316
			0.5232

वृक्ष क्रमांक — 12 प्रजाति — साल

1.	210	60	0.0472
			0.0472

वृक्ष क्रमांक — 13 प्रजाति — साल

1.	150	90	0.0759
2.	160	75	0.0562
3.	200	60	0.0450
			0.1771

उपरोक्त गणना मेरे द्वारा की गयी।

दि० 13-01-2024

(सुरेन्द्र कनौजिया) वन दरोगा

(संजीव कुमार) वनरक्षक

(मनोज श्रीवास्तव) उप क्षेत्र

lo

=

Ei

(Annexure – 4)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Year (वर्ष): 2024

1. District (जिला): शाहजहाँपुर P.S. (थाना): खुटार
   FIR No. (प्र.सू.रि. 0038 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 18/01/2024 19:15 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एं))
1	भा दं सं 1860	379
2	भा दं सं 1860	411
3	भारतीय वन अधिनियम, 1927	26
4	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	2

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day (दिन): Date From (दिनांक से Date To (दिनांक तक):
      Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
      Date (दिनांक): 18/01/2024 Time (समय): 19:15 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
      Entry No. (प्रविष्टि सं.): 035 Date & Time (दिनांक और समय): 18/01/2024 19:15 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल): Beat No. (बीट सं.):
   1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 09 किमी
      (b) Address (पता): सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर,पश्चिमी बीट के हर्रायपुर
      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
      Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name (नाम): पुष्पेन्द्र कुमार कनौजिया वन दरोगा
   (b) Father's Name (पिता का नाम) : महेशचन्द्र
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
   (e) UID No. (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
      Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खुटार रेंज बीट सिहुरा सिहपुर,पश्चिमी,खुटार,शाहजहाँपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	नवादा इन्देपुर,कोतवाली,शाहजहाँपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

(Annexure-4)

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	साबिर		पिता का नाम : बशीर	1. खाडेपुर,सेहरामऊ उत्तरी,पीलीभीत,उत्तर प्रदेश,भारत
2	मुजीब		पिता का नाम : कमरूल हसन	1. बरकलीगंज,खुटार,शाहजहाँपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
3	आसिफ		पिता का नाम : बबलू खां	1. शेरपुर कला,पूरनपुर,पीलीभीत,उत्तर प्रदेश,भारत
4	इमरान		पिता का नाम : मैजुल्ला खां	1. शेरपुर कला,पूरनपुर,पीलीभीत,उत्तर प्रदेश,भारत
5	नन्हे		पिता का नाम : हमीर बक्श	1. शेरपुर कला,पूरनपुर,पीलीभीत,उत्तर प्रदेश,भारत
6	अहमद नूर खां		पिता का नाम : सहूर खां	1. शेरपुर कला,पूरनपुर,पीलीभीत,उत्तर प्रदेश,भारत
7	फरमोद खां		पिता का नाम : महमूद खां	1. शेरपुर कला,पूरनपुर,पीलीभीत,उत्तर प्रदेश,भारत
8	गिरवर दयाल उर्फ मास्टर		पिता का नाम : राम सहाय	1. सिहुरा ,खुटार,शाहजहाँपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
9	तौकीर		पिता का नाम : नामालूम	1. अज्ञात,अज्ञात
10	मोबीन		पिता का नाम : नेमतुल्ला	1. केसरपुर कला,सेहरामऊ उत्तरी,पीलीभीत,उत्तर प्रदेश,भारत
11	छोटुआ		पिता का नाम : एमएलए खां	1. केसरपुर कला,सेहरामऊ उत्तरी,पीलीभीत,उत्तर प्रदेश,भारत
12	मैनुद्दीन		पिता का नाम : नामालूम	1. भरकलीगंज,खुटार,शाहजहाँपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
13	03 अज्ञात			1. अज्ञात,अज्ञात

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of Interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो

S.No. (क्र.	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर......सेवा मे थानाध्यक्ष महोदय खुटार(शाहजहाँपुर) विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध मे। महोदय, निवेदन है कि खुटार रेंज के अन्तर्गत सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट के हर्रायपुर क0सं0 04 मे साल (कोरो) हरे के 11 वृक्ष, (1) साबिर पुत्र बशीर नि0 खाडेपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जि0 पीलीभीत,(2) मुजीब पुत्र कमरूल हसन नि0 बरकलीगंज थाना खुटार शाहजहाँपुर, (3) आसिफ पुत्र बबलू खां नि0 शेरपुर कला थाना पूरनपुर जि0 पीलीभीत, (4) इमरान पुत्र मैजुल्ला खां नि0 शेरपुर कला थाना पूरनपुर जि0 पीलीभीत, (5) नन्हे पुत्र हमीर बक्श नि0 शेरपुर कला थाना पूरनपुर जि0 पीलीभीत, (6) अहमद नूर खां पुत्र सहूर खां नि0 शेरपुर कला थाना पूरनपुर जि0 पीलीभीत, (7) फरमोद खां पुत्र महमूद खां नि0 शेरपुर कला थाना पूरनपुर जि0 पीलीभीत, (8) गिरवर दयाल उर्फ मास्टर पुत्र रामसहाय नि0 सिहुरा थाना खुटार- शाहजहाँपुर (9) तौकीर पुत्र अज्ञात नि0 (10) मोबीन पुत्र नेमतुल्ला नि0 केसरपुर कला थाना सेहरामऊ उत्तरी जि0 पीलीभीत (11) छोटुआ पुत्र

 (Annexure-4)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

... नि0 केसरपुर कला थाना सेहरामऊ उत्तरी जि0 पीलीभीत (12) मैनुद्दीन पुत्र अज्ञात नि0 भरथनीगंज थाना खुटार शाहजहाँपुर व 03 अज्ञात ने चोरी से काट डाले जिन्हे बरामद कर लिया गया है। समस्त प्रकाष्ठ राज्य सरकार की सम्पत्ति है ये लोग पूर्व मे वन अपराध मे लिप्त रहे है। इनके द्वारा चोरी से काटे गये साल (कोरो) के वृक्षो से राज्य सरकार की अपूर्णनीय क्षति हुई है, पर्यावरण व वन्यजीव को प्रभावित किया गया है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उपरोक्त अभियुक्तगणो के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, आई0पी0सी0 की धारा 379 व 411, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(7) तथा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से सम्बन्धित सुसंगत धाराओ मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करे जिससे कि राजकीय सम्पत्तियो की सुरक्षा व राजकीय कार्यो का सम्पादन बिना किसी भय के किया जा सके। दिनांक 18/01/24 प्रार्थी ह0 अंग्रेजी अपठनीय पुष्पेन्द्र कुमार कनोजिया वन दरोगा बीट प्रभारी सिहपुर मो0न0 8127818038 पुत्र स्व0 श्री महेश चन्द नि0 मो0 नवादा इन्देपुर थाना कोतवाली जि0 शाहजहाँपुर.... नोट- मै लेखक एच.एम. नरेश प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल मेरे द्वारा बोल बोलकर का0 2801 सचिन कुमार से टाईप करायी गयी।

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत
(1) Registered the case and took up the investigation: or

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ARIF MOHMAD Rank (पद): SI (Sub-Inspector)
No.(to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

18/01/24

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): SHO KHUTAR
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 9454404211

कार्यालय - क्षेत्रीय वन अधिकारी, खुटार (Annexure - 5)
पत्रांक मेमो / 33 दिनांक 5-2-2024।
सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवम् वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

विषय :— खुटार रेंज के अन्तर्गत सिंहुरा सेक्शन की सिंहपुर पश्चिमी बीट के हरदियापुर वन ब्लाक क0 4 में हुए अवैध कटान के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— आपका पत्रांक 2264/33-3 दि0 3-2-2024।

महोदय,
सूचना निम्नवत है—

1- दिनांक 11-1-2024 को रेंज के अन्तर्गत सिंहुरा सेक्शन की सिंहपुर पश्चिमी बीट के हरदियापुर वन ब्लाक क0 4 में साल प्रजाति के 13 राजकीय वृक्षों का अवैध कटान के सम्बन्ध में बीट प्रभारी श्री बृजेन्द्र कनौजिया व0द0 के साथ मौके की जाँच की गयी एवं श्री बृजेन्द्र कनौजिया व0द0 को उक्त कटान के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

2- श्री बृजेन्द्र कनौजिया व0द0 द्वारा मौके पर बरामद प्रकाष्ठ 6.240 घ0मी0 को उठवाकर वन चौकी पर सुरक्षित रखवाया गया तथा क्रमानुसार बरामद गोटों पर नम्बर अंकित किया गया।

3- श्री बृजेन्द्र कनौजिया व0द0 द्वारा रेंज कार्यालय आकर वन अपराध सं0 44/2023-24 अन्तर्गत धारा भा0व0अ0 1927 की 26 वन अपराधियों के विरुद्ध दर्ज किया।

4- वन अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें पकड़ने हेतु थाना खुटार में आई.पी.सी. की धारा 379, 411, भा0व0अ0 1927 की धारा 26 के अन्तर्गत दिनांक 18-1-2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट 0038 दर्ज कराई गयी।

5. दिनांक 16-1-2024 को गिरफ्तार अभियुक्त म0 रामसहाय नि0 सिंहुरा खुर्द थाना-खुटार को उक्त अवैध कटान में संलिप्त पाये जाने पर जिला कारागार शाहजहाँपुर भेजा गया।

6. उक्त अवैध कटान में शब्बर साबिर अब्बासी नि0 साईंपुर थाना-सेहरामऊ उत्तरी पीलीभीत तथा मुजीब म0 कमरुलहसन नि0 पक्की मंज शाह0 को संदिग्ध मानते हुए उनके विरुद्ध वन अपराध दर्ज किया गया।

7- दिनांक 23-1-2024 को उक्त अवैध कटान से सम्बन्धित प्रकाष्ठ को चिरान करने की सूचना पर विजयपाल म0 मथुरा नि0 चन्दूपुर शाह0 के घर छापा मारकर कठिना नदी के किनारे गन्ने के खेत से साल चिरान व गोल प्रकाष्ठ कुल 0.520 घ0मी0 बरामद किया गया तथा दो अदद चिरान स्टैण्ड, 2 अदद आरा, एक अदद कुल्हाड़ी, एक अदद बसूला, रेती, 1 अदद टेपनुमा फीता बरामद कर जब्त किया गया।

8. दि0 23-1-24 को उक्त अवैध कटान में लिप्त सोनू म0 ओमप्रकाश नि0 नविया बोरीकलां, महेन्द्र म0 रामभरोसे नि0 चन्दूपुर शाह0 को पकड़कर जेल भेजा गया तथा विजयपाल म0 मथुरा नि0 चन्दूपुर शाह0 को दिनांक 2-2-24 को जेल भेजा गया। उक्त अवैध कटान से सम्बन्धित प्रकाष्ठ 6.760 घ0मी0 बरामद कर लिया गया तथा वन अभियुक्त जेल भेजे गये। रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित।

ह0 अपठनीय
क्षेत्रीय वन अधिकारी
क्षे0व0 खुटार

(Annexure-5)

28/2023-24 03-9-2023	साल नौला व कुन्दर	.	-	श्री प्रमोद कुमार ... नट दय श्री अधिकारी ... नौर्ड।
39/2023-24 दि० 9-10-2023	सागौन चैला 2.00 कु०			विठ्ठलपुर क० 4 से एक वृक्ष सूखा हुआ सागौन का अवैध पातन्न चैला बनाकर जो विक्रय हेतु रखा गया था श्री संजीव कुमार व भी शामिल रूप से रखा है।
43/2023-24 दि० 31-12-2023	साल व जामुन प्रकाष्ठ का अवैध से गोपालपुर वन ब्लाक से अवैध रूप से कटान किया गया।			रेंज कार्यालय कोतद्वार में श्री गोविन्द प्रसाद न्यूनतम वेतन कर्मी की अभिरक्षा में है।
44/2023-24 दि० 11-1-2024	हर्रैया कुल्हाड़ से बरामद प्रकाष्ठ कुल			

प्रजाति	लम्बाई × गोलाई मी.	नग	आयतन
साल	1.40 × 1.20	1	0.1125
	2.10 × 1.05	1	0.1447
	1.30 × 0.90	1	0.0658
	1.90 × 0.85	1	0.0632
	1.60 × 0.70	1	0.0490
	2.40 × 1.25	1	0.2343
	2.40 × 1.10	1	0.1815
	1.20 × 1.00	1	0.0750
	1.90 × 0.90	1	0.0961
	1.90 × 0.90	1	0.0961
	2.20 × 0.85	1	0.0993
	1.80 × 0.80	1	0.0720
	1.70 × 0.70	1	0.0520
	1.45 × 0.90	1	0.0734
	1.50 × 0.80	1	0.0600
	2.30 × 0.75	1	0.0808
	1.85 × 0.70	1	0.0566

प्रजाति	लम्बाई मी. × गोलाई मी.	नग	आयतन
साल	1.55 × 1.10	1	0.1172
	1.20 × 1.05	1	0.0826
	2.40 × 1.00	1	0.1500
	1.60 × 0.85	1	0.0722
	1.75 × 0.80	1	0.0700
	1.55 × 0.75	1	0.0545
	2.30 × 0.70	1	0.0704
	2.30 × 0.60	1	0.0517
	2.30 × 0.55	1	0.0434
	1.50 × 1.50	1	0.5625
	1.50 × 1.00	1	0.0937
	2.10 × 0.90	1	0.1063
	2.40 × 0.85	1	0.1083
	1.45 × 0.80	1	0.0580
	1.80 × 0.70	1	0.0551
	1.65 × 0.60	1	0.0371
	2.60 × 1.25	1	0.2530
	2.20 × 1.16	1	0.1163
	1.70 × 0.80	1	0.0680
	1.70 × 0.70	1	0.0520
	1.60 × 0.60	1	0.0360

प्रजाति	लम्बाई मी. × गोलाई मी.	नग	आयतन घ.मी.
साल	1.90 × 1.30	1	0.2000
	2.50 × 0.90	1	0.1000
	1.80 × 0.85	1	0.0812
	2.20 × 0.80	1	0.0880
	1.80 × 0.70	1	0.0551
	1.95 × 0.65	1	0.0514
	1.30 × 0.60	1	0.0292
	1.90 × 1.40	1	0.2327
	1.55 × 0.95	1	0.0874
	1.40 × 0.90	1	0.0704
	1.55 × 0.85	1	0.0699
	2.10 × 0.80	1	0.0840
	2.10 × 0.70	1	0.0640
	1.85 × 1.40	1	0.2260
	1.65 × 0.80	1	0.0660
	2.45 × 0.70	1	0.0750
	2.40 × 1.30	1	0.2535
	2.40 × 1.10	1	0.1815
	1.85 × 0.70	1	0.0566
	1.20 × 0.65	1	0.0316
	2.10 × 0.60	1	0.0472

प्रजाति	लम्बाई × गोलाई मी.	नग	आयतन	
सागौन	1.50 × 0.90	1	0.0759	विठ्ठलपुर चौकी पर श्री अरविन्द... के ... सुपुर्दगी में रखा है
	1.60 × 0.75	1	0.0562	
	2.00 × 0.60	1	0.0450	
साल चिरान दि० 23/1/24 कोतद्वार (अग्रिम)	2.15 × 0.12 × 0.07	3	0.0453	
	1.12 × 0.10 × 0.07	1	0.0078	
	2.15 × 0.18 × 0.04	2	0.0120	
	1.48 × 0.07 × 0.04	1	0.0040	
	2.15 × 0.20 × 0.14	2	0.0172	
	1.35 × 0.10 × 0.04	1	0.0054	अना. खुदर में पूर्वी उद्यान शिविर की अभिरक्षा में
	1.50 × 0.08 × 0.06	1	0.0072	
	0.80 × 0.08 × 0.08	1	0.0051	
	0.75 × 0.07 × 0.07	1	0.0037	
	0.48 × 0.06 × 0.05	2	0.0028	
	0.63 × 0.07 × 0.07	1	0.0031	
	0.54 × 0.12 × 0.03	1	0.0019	
	0.52 × 0.07 × 0.07	1	0.0020	
	0.44 × 0.25 × 0.02	1	0.0004	
	1.12 × 0.25 × 0.02	1	0.0011	
	0.55 × 0.07 × 0.07	1	0.0027	
	1.48 × 0.04 × 0.02	1	0.0012	
	0.46 × 0.05 × 0.04	1	0.0009	
	1.08 × 0.07 × 0.02	1	0.0015	
	1.25 × 0.25 × 0.05	1	0.0150	
	2.00 × 0.65 —	1	0.0528	
	1.80 × 0.57 —	1	0.0365	
	1.30 × 1.20 —	1	0.117	विठ्ठलपुर चौकी पर
	1.30 × 0.98 —	1	0.072	
	1.30 × 0.80 —	1	0.052	
	1.30 × 0.83 —	1	0.056	

(Annexure - 5)

प्रजाति	लं०मी० x गो०मी०	नग	आयतन घ०मी०	प्रजाति	लं०मी० x गो०मी०	नग	आयतन	
साल	1.90 x 1.30	1	0.2000	शीशम	1.50 x 0.90	1	0.0759	1 सिंदुरावन चौकी पर श्री अरविन्द संवेदना व.व. के कुकुरी में स्थापित
	2.50 x 0.90	1	0.1000		1.60 x 0.75	1	0.0562	
	1.80 x 0.85	1	0.0812		2.00 x 0.60	1	0.0450	
	2.20 x 0.80	1	0.0880	साल चिरान				
	1.80 x 0.70	1	0.0551	दि० 23/2024 को कार्यों में बरामद	2.15 x 0.10 x 0.07	3	0.0453	
	1.95 x 0.65	1	0.0514		1.12 x 0.10 x 0.07	1	0.0078	
					2.15 x 0.07 x 0.04	2	0.0120	
	1.30 x 0.60	1	0.0292		1.44 x 0.07 x 0.04	1	0.0040	
	1.90 x 1.40	1	0.2327		2.15 x 0.10 x 0.04	2	0.0172	
	1.55 x 0.95	1	0.0874		1.35 x 0.10 x 0.04	1	0.0054	थाना खुर्द में पुलिस व वन विभाग की अभिरक्षा में
					1.50 x 0.08 x 0.06	1	0.0072	
	1.40 x 0.90	1	0.0704		0.80 x 0.08 x 0.08	1	0.0051	
	1.55 x 0.85	1	0.0699		0.75 x 0.07 x 0.07	1	0.0037	
	2.10 x 0.80	1	0.0840		0.48 x 0.06 x 0.05	2	0.0028	
	2.10 x 0.70	1	0.0640		0.63 x 0.07 x 0.07	1	0.0031	
	1.85 x 1.40	1	0.2260		0.54 x 0.12 x 0.03	1	0.0019	
	1.65 x 0.80	1	0.0660		0.52 x 0.17 x 0.09	1	0.0080	
					0.44 x 0.05 x 0.02	1	0.0004	
	2.45 x 0.70	1	0.0750		1.10 x 0.05 x 0.02	1	0.0011	
	2.40 x 1.30	1	0.2535		0.55 x 0.07 x 0.07	1	0.0027	
					1.48 x 0.04 x 0.02	1	0.0012	
	2.40 x 1.10	1	0.1815		0.46 x 0.05 x 0.04	1	0.0009	
					1.08 x 0.07 x 0.02	1	0.0015	
	1.85 x 0.70	1	0.0566		1.25 x 0.06 x 0.05	1	0.0038	
	1.20 x 0.65	1	0.0316		2.00 x 0.65 —	1	0.0528	
					1.00 x 0.57 —	1	0.0366	
	2.10 x 0.60	1	0.0472					
					1.30 x 1.20 —	1	0.117	सिंदुरावन चौकी पर
					1.30 x 0.98 —	1	0.072	
					1.30 x 0.80 —	1	0.052	
					1.30 x 0.83 —	1	0.056	

(Annexure - 6)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 2674 /2-1,   शाहजहांपुर, दिनांक 18-01-2024।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली।

विषय :- खुटार रेंज के अन्तर्गत सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट के हर्रायपुर वन ब्लाक कम्पार्टमेन्ट न0-04 में साल प्रजाति के राजकीय वृक्षों के अवैध कटान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में अवगत कराना है कि दिनांक 12-01-2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खुटार रेंज के अन्तर्गत सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट के हर्रायपुर वन ब्लाक कम्पार्टमेन्ट न0-04 में भारी मात्रा में साल प्रजाति के राजकीय वृक्षों का अवैध कटान हुआ है। उक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय की पत्र सं0 2044/33-3 दिनांक 12-01-2024 को ही एक जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति द्वारा मौके पर जा कर उक्त वन क्षेत्र में हुये अवैध कटान की जांच की गयी। जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 15-01-2024 को इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार खुटार रेंज के अन्तर्गत सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट के हर्रायपुर वन ब्लाक कम्पार्टमेन्ट न0-04 में साल प्रजाति के राजकीय वृक्षों के अवैध कटान पाया गया। खुटार रेंज में तैनात श्री पुष्पेन्द्र कन्नौजिया, वन दरोगा खुटार रेंज की सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट प्रभारी के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत 13 साल प्रजाति के राजकीय वृक्षो का अवैध कटान किया गया है। श्री पुष्पेन्द्र कन्नौजिया, वन दरोगा द्वारा अवैध कटान से सम्बन्धित सूचना उच्च स्तर को प्रेषित नही की गयी और न ही किसी प्रकार की उनके द्वारा अवैध कटान के सम्बन्ध में कोई कार्यावाही की गयी है।

अतः उक्त प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुये प्रभाग की खुटार रेंज में तैनात श्री पुष्पेन्द्र कन्नौजिया, वन दरोगा द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में अवैध कटान पर नियंत्रण न रखने, अपने उच्च स्तर के अधिकारियों को अवैध कटान के सम्बन्ध में सूचना न देने तथा उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 03 का उल्लधन करने हेतु श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नौजिया, वन दरोगा को निलम्बित किये जाने की संस्तुति की जाती है। उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

(Annexure - 7)

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

वनादेश संख्या:- 1 (. / 2-42 , बरेली, दिनांक, 17 / जनवरी / 2024.

"निलम्बन आदेश"

प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर के पत्रांक-2074/2-1, दिनांक 18.01.2024 से अवगत कराया है कि दिनांक 12.01.2024 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खुटार रेंज के अन्तर्गत सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट के हर्रामपुर वन ब्लाक कम्पार्टमेन्ट न0-04 में भारी मात्रा में साल प्रजाति के राजकीय वृक्षों का अवैध कटान हुआ है। उक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, शाहजहाँपुर ने अपने पत्रांक- 2044/33-3, दिनांक 12.01.2024 को ही एक जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति द्वारा मौके पर जाकर उक्त वन क्षेत्र में हुए अवैध कटान की जांच की गयी। जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.01.2024 को प्रभागीय कार्यालय, शाहजहाँपुर को उपलब्ध करायी गयी। जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार खुटार रेंज के अन्तर्गत सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट के हर्रामपुर वन ब्लाक कम्पार्टमेन्ट न0-04 में साल प्रजाति के राजकीय वृक्षों का अवैध कटान पाया गया। खुटार रेंज में तैनात श्री पुष्पेन्द्र कन्नौजिया, वन दरोगा खुटार रेंज की सिहुरा सेक्शन के सिंहपुर पश्चिमी बीट प्रभारी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 13 साल प्रजाति के राजकीय वृक्षों का अवैध कटान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर द्वारा श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नौजिया, वन दरोगा को इस प्रकरण में जिम्मेदार मानते हुये निलम्बित किये जाने की संस्तुति की गयी है। इस प्रकार प्रकरण मे साल प्रजाति के वृक्षों के अवैध कटान में कोई विधिक कार्यवाही नहीं किये जाने, अपने दायित्वों के प्रति गम्भीर न रहने, अपने कार्यक्षेत्र में अवैध कटान पर नियन्त्रण न रखने, अवैध कटान की सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित न किये जाने तथा कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 का उल्लंघन करने के लिये श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नौजिया, वनविद को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2- निलम्बन अवधि में श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नौजिया, वनविद को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन देय अवकाश की राशि के बराबर देय होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ते, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हो, भी अनुमन्य होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय हो कि जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा इस मद में वास्तव में व्यय किया जा रहा है जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हों।

3- उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नौजिया, वनविद इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार तथा वित्तीय व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

निलम्बन अवधि में श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नौजिया, वनविद, शाहजहाँपुर प्रभाग की जलालाबाद रेंज में सम्बद्ध रहेंगे।

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्रांक:- 2326 (1)/ 2-42, दिनांकित।

1-प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, उ0प्र0, बरेली को उनके पत्रांक-1733/33-3, दिनांक 15.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक- 2074/2-1, दिनांक 18.01.2024 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त अवैध कटान के सम्बन्ध में उक्त वनविद के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र का सटीक आलेख तीन प्रतियों में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

3-प्रतिलिपि श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नौजिया, वनविद द्वारा-प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर।

4- गार्डबुक हेतु।

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 2382/2-1 शाहजहांपुर, दिनांक 12-01-2024।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली।

विषय :- आरोप-पत्र का प्रेषण।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रभाग की खुटार रेंज में हुये साल प्रजाति के अवैध कटान के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार, वन दरोगा एवं श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नोजिया, नि0, वन दरोगा खुटार रेंज का आरोप-पत्र का आलेख मय संलग्नकों के 03-03 प्रतियों में तैयार कर आपकी सेवा में अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

<u>संलग्नक - आरोप पत्र 03-03 प्रतियों में।</u>

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

H:\Letter-02.doc

 (Annexure - 9)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 2383/2-1 शाहजहांपुर, दिनांक 12/02/2024।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्य जीव बरेली वृत्त, बरेली।

विषय :- आरोप–पत्र का प्रेषण।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रभाग की खुटार रेंज में हुये साल प्रजाति के अवैध कटान के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय वन अधिकारी, खुटार का आरोप–पत्र का आलेख मय संलग्नकों के 05 प्रतियों में तैयार कर आपकी सेवा में अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

<u>संलग्नक – आरोप पत्र 05 प्रतियों में।</u>

भवदीय

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहांपुर।

H:\Letter-02.doc

 (Annexure- 10)

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्या:- /2-42, बरेली, दिनांक, 15/02/2024.
सेवा में,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
बरेली,
बरेली प्रभाग।

विषय:- श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नौजिया, वनविद (नि0) एवं श्री संजीव कुमार, वनविद के विरूद्ध आरोप पत्र की जांच।

श्री पुष्पेन्द्र कुमार कन्नौजिया, वनविद (नि0) एवं श्री संजीव कुमार, वनविद के विरूद्ध आरोप पत्र दो प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आरोप पत्र की एक प्रति अपचारी कर्मचारी को हस्तगत करा दें तथा उनसे दिनांकित प्राप्ति रसीद प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

ए0जी0ओ0 के प्रस्तर-75 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के प्राविधानों के तहत मामले में आपको जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त नियमावली के आलोक में अपचारी कर्मचारी से आरोप पत्र का उत्तर प्राप्त कर उसे अपनी तथ्यात्मक जांच आख्या सहित नियत समय के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया ध्यान रहे कि आरोप पत्र अपचारी को हस्तगत कराने से पूर्व जांच अधिकारी के रूप में अपने पदनाम सहित दिनांकित हस्ताक्षर अवश्य करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:-2572(1)/2-42, दिनॉकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक-2382/2-1, दिनांक 12.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

(विजय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

(Annexure - 11)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 2135/33-3 शाहजहांपुर, दिनांक, 20 / 01 /2024

कुम्बिंग हेतु टीम का गठन

अधोहस्ताक्षरी को खुटार रेंज के अन्तर्गत छिटपुट अवैध कटान होने की सूचना प्राप्त हो रही है। अतः खुटार रेंज के अन्तर्गत गंडनपुर बीट, रिंहपुर प्रथम बीट, रिंहपुर द्वितीय बीट, खुटार बीट (छापाबोझी कम्पार्टमेंट प्रथम, द्वितीय व तृतीय) के क्षेत्रों की कुम्बिंग करने हेतु निम्न प्रकार टीम का गठन किया जाता है:-

1-डा0 सुशील कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुवायां	- अध्यक्ष
2-श्री वीरेश राव, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिंधौली रेंज	- सदस्य
3-श्री अजय सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, तिलहर रेंज	- सदस्य
4-श्री विकास सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, जलालाबाद रेंज	- सदस्य
5-श्री सुशील कुमार, वनविद, शाहजहॉपुर रेंज	- सदस्य

उक्त गठित टीम खुटार रेंज के अन्तर्गत गंडनपुर बीट, रिंहपुर प्रथम बीट, रिंहपुर द्वितीय बीट, खुटार बीट (छापाबोझी कम्पार्टमेंट प्रथम, द्वितीय व तृतीय) के क्षेत्रों की कुम्बिंग करेगी तथा उसकी मय अभिलेखों साक्ष्यों सहित अपनी कुम्बिंग रिपोर्ट 03 सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगी।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
शाहजहॉपुर।

पत्रांक /33-3, उक्तदिनांकित।

1-प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-प्रतिलिपि डा0 सुशील कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी, पुवायां को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3-प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, खुटार को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रकरण में गठित टीम को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

4-प्रतिलिपि श्री वीरेश राव, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिंधौली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5-प्रतिलिपि श्री अजय सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, तिलहर रेंज को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

6-प्रतिलिपि श्री विकास सिंह, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, जलालाबाद रेंज को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7-प्रतिलिपि श्री सुशील कुमार, वनदरोगा, शाहजहॉपुर रेंज को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
शाहजहॉपुर।